न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 39 / 2021

सुशील कुमार, निवासी नदबई, जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, नदबई ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 27.05.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सुशील कुमार, निवासी नदबई, जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2021 तहसीलदार, नदबई से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 346 दिनांक 29.04.2021 के द्वारा तहसीलदार, नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नदबई से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, नदबई से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नदबई से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो गम्भीर बात है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ तहसीलदार नदबई के पत्र कमांक 228 दिनांक 05.03.2021 की प्रति संलग्न की है जिसमें तहसीलदार नदबई द्वारा अपीलान्ट को सूचित करते हुए प्रकरण तहसील कार्यालय से सबंधित न होने के कारण विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई को अपीलान्ट को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र को अन्तरित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में स्वीकार किया है कि तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्रांक 228 दिनांक 05.03.2021 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई से सम्पर्क किया जावें।

चूंकि वांछित सूचना तहसील कार्यालय नदबई से सबंधित न होने के कारण तहसीलदार नदबई के विरूद्व की गई अपील खारिज की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई से पत्राचार करें।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नदबई को पालनार्थ भेजी जावें एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर